ग्राम पंचायत नबाही, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.21 से 31.03.23

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नबाही, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुनीता देवी	01-04-2021 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	01-04-2021 से 27-12-2021 तक
2	श्रीमती रंजना देवी	28-12-2021 से 14-01-2022 तक
3	श्री हेमराज	15-01-2022 से 31-03-2023 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत नबाही के लेखाओं अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	**0.16**
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	**47.09**
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	**0.32**
4	6(घ)	विवाह पंजीकरण शुल्क को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाने बारे	**0.42**
5	9(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	**0.10**
6	9(ख)	स्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	**0.02**
7	10(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	**03.38**
8	10(ग)	स्रोत पर टीडीएस अंडर जीएसटी की कटौती न करना	**0.11**

भाग- दो

2 (क) वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नबाही, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09-02-2024 से 16-02-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	10/21	04/21
2022-23	06/22	03/23

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत नबाही, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-94 दिनांक 16.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत नबाही द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) **स्व: स्रोत व 5वां वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत नबाही के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्व: स्रोत की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है:-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	3773876.15	570554	4344430.15	1094231	3250199.15
2022-23	3250199.15	630445	3880644.15	347781	3532863.15

(ii) **अनुदान:-** ग्राम पंचायत नबाही के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	429338	236010	665348	43662	621686
2022-23	621686	666369	1288055	697557	590498

दिनांक 31.03.23 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **41,23,361.15**

दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	**Account no.**	**Name of head**	**Closing balance as on 31.03.2023 (₹)**
H.P State Cooperative Bank, Nabahi	33910101801	Own source & 5th state	3548722.15
H.P State Cooperative Bank, Nabahi	33910100830	Other grants	590498
			4139220.15

Bank Reconcilation as on 31-03-2023	
Balance as per cash book	**₹4123361.15**
Balance as per Pass book	**₹4139220.15**
Net Difference	**₹15859**

(iii) **14 वाँ वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत नबाही, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 14 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2021-22	2449808	75611	2525419	1241526.16	1283892.84
2022-23	1283892.84	99965	1383857.84	1051873	331984.84

बैंक समाधान विवरणी :-

Bank Reconcilation as on 31 03-23	
Balance as per cash book	331984.84
Balance as per Pass book a/c 33910104040	**331984.84**
Net Difference	**nill**

(iv) **15 वाँ वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत नबाही के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (घ)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	714078	1655433	2369511	0	2369511
2022-23	2369511	2051290	4420801	633778.36	3787022.64

Bank Recon:cilation as on 31-03-23		
Balance as per cash book	3787022.64	
add:-interest of rs 32534 not taken in cb but taken in pass book	32534	3819556.64
Balance as per Pass book		3819556.64
Net Difference		**Nill**

(v) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	0	**1329602.6**	0	**1329602.6**	**1329602.6**	0
2022-23	0	**1051644.7**	0	**1051644.7**	**1051644.7**	0

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.16 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है, जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹15859** की राशि का अन्तर पाया गया । अत: मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये ।

5. **(क) पंचायत के स्वः स्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत नबाही के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹47.09 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत नबाही द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक अनुदान ₹47,09,505.48 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii), 4(iii),4(iv)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत नबाही द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2021** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.32 लाख की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत नबाही के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार **₹31650** की वसूली नहीं की गई थी । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) दुकान किराए की वसूली रजिस्टर व अनुबंध तैयार न करने बारे :-

पंचायत की स्व: स्त्रौतों से प्राप्त आय से संबन्धित उपलब्ध अभिलेख को अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दुकानों के किराये की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया है और न ही अनुबंध पत्र तैयार किए गए है। अतः दिनांक 01.04.21 से 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की जा सकी थी। सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-81 दिनांक 09.02.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि दुकान किराए की मांग तथा संग्रह रजिस्टर का रख-रखाव जल्द ही किया जाएगा व दुकान मालिकों से अनुबंध पत्र तैयार किया जाएगा । अतः दुकान किराए का मांग तथा संग्रह रजिस्टर का नियमानुसार अनुरक्षण करते हुए वसूली योग्य राशि की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ग) विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹0.02 लाख की वसूली न करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत नबाही

द्वारा अवधि 01.04.21 से 31.03.2023 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹2000** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	मुखिया का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	42	nill	रमेश चंद सुपुत्र श्री जोथु राम	13.08.21	13.08.21	200	0	200
2	44	nill	अविनाश ठाकुर सुपुत्र श्री मुकेश कुमार	13.09.21	13.09.21	200	0	200
3	63	nill	सुनील कुमार सुपुत्र श्री जीत सिंह	10.11.21	10.11.21	200	0	200
4	65	305612	कमाल कान्त सुपुत्र श्री जीत राम	13.10.21	15.11.21	400	200	200
5	85	305632	प्रवीण कुमार सुपुत्र श्री कृष्ण लाल	20.11.21	01.01.22	400	200	200
6	96	nill	शबनम सुपुत्री श्री सुरेश कुमार	23.01.22	17.02.22	200	0	200
7	110	nill	शिल्पा देवी सुपुत्री श्री विधि चंद	09.02.22	19.03.22	400	0	400
8	118	nill	विपिन कुमार सुपुत्र श्री प्यार चंद	24.03.22	22.04.22	200	0	200
9	120	nill	सुनील कुमार सुपुत्र श्री राजेश कुमार	22.04.22	23.04.22	200	0	200
								2000

सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-82 दिनांक 12.02.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि परिहार किया जाएगा। अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(घ) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना राशि ₹0.42 लाख :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं. PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत नबाही, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी(हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान ₹41515/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क (₹)**
1.	2021-22	19965
2.	2022-23	21550
	कुल जोड़	**41515**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशी लेखा परीक्षा अवधि (03/2023) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी

तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था, जोकि उपरोक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-84 दिनांक 12-02-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नबाही के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ङ) स्व:स्रोत से प्राप्त आय ₹0.20 लाख को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 (3) के प्रावधानानुसार पंचायत को सभी प्राप्तियों को खाते में जमा तथा सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 की रोकड़ बही बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वतः स्त्रोत से वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान प्राप्त कुल आय में से ₹20008 को बैंक में जमा करवाये बिना ही व्यय किया गया था जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रसीद संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	विवरण	राशि (₹)
1	4464	13.04.21	91	विवाह पंजीकरण	200
2	04465 से 04466 तक व 04467 से 04469 तक	13.04.21	91	विवाह पंजीकरण	700
3	4470	16.04.21	91	विवाह पंजीकरण	200
4	4471 से 4472	06.08.21	98	विवाह पंजीकरण	400
5	4473	06.08.21	98	किराया डाकघर	1300
6	4474 से 4484	11.08.21	99	विवाह पंजीकरण	2600
7	4485 से 4492	12.08.21	99	विवाह पंजीकरण	2000
8	4494 से 4500	30.11.21	11	विवाह पंजीकरण	1600

9	305601 से 305609 तक व 305611 से 305614 तक	02.12.21	12	विवाह पंजीकरण	3000
10	305615 से 305618 तक	04.12.21	12	विवाह पंजीकरण	800
11	305619 से 305622 तक	04.12.21	12	विवाह पंजीकरण	800
12	305623 से 305625 तक	06.12.21	13	विवाह पंजीकरण	600
13	305626	09.12.21	13	विवाह पंजीकरण	400
14	305627 से 305629 तक	10.12.21	13	विवाह पंजीकरण	600
15	305631	28.12.21	16	विवाह पंजीकरण	200
16	305632	01.01.22	16	विवाह पंजीकरण	200
17	305633	03.01.22	17	विवाह पंजीकरण	200
18	305634	05.01.22	17	विवाह पंजीकरण	200
19	305635	11.01.22	17	विवाह पंजीकरण	200
20	305238 से 304239 तक	12.01.22	18	गृह कर	240
21	305641 से 305643 तक व 305655 से 305671 तक	07.03.22	23	विवाह पंजीकरण व अन्य आय	3568
					20008

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-80 दिनांक 09-02-24 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत नबाही के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में निधि से प्राप्त आय को बैंक में जमा किया जाएगा व इस प्रकार की त्रुटि को पुनः दोहराया नहीं जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अत: उपरोक्त राशि को बैंक में जमा न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की गलतियों को न दोहराया जाए ।

7. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन न करना :-

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशों के अनुसार, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र कार्य योजना तैयार किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का पृथक्करण संग्रहण, धुलाई, भण्डारण और पुर्नचक्रण योग्य भाग को पंजीकृत एजेंसियों को भेजना। प्लास्टिक कचरे को

खुले में जलाने पर रोक लगाना तथा सभी हित धारकों में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल है।

कार्य योजना में ग्राम स्टार पर प्लास्टिक कचरे का भंडारण, संग्रह एवं एकत्रण केन्द्रों की स्थापना तथा इन केन्द्रों से प्लास्टिक कचरे को ब्लॉक या जिला स्तर पर ले जाना जहाँ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किये जायेंगे। जिले के स्क्रैप व्यापारियों की सूची बनाई जाएगी और इसे इस योजना में शामिल किया जायेगा। कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ड प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों के माध्यम से कचरा संग्रहण किया जाएगा। ग्राम पंचायत नबाही, विकास खण्ड गोपालपुर जिला मंडी (हि०प्र०) में लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस ग्राम पंचायत में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन स्तरों पर अर्थात घरेलू स्तर, संस्थान, स्वस्थ देखभाल केंद्र, वाणिज्यक क्षेत्र और बाजारों में सृजीत कचरे (प्रकार और मात्रा) का कोई आकलन नहीं किया गया था।

इस स्थिति में प्लास्टिक कचरे का ग्राम पंचायत क्षेत्र में न तो संग्रहण किया जा रहा है और न ही प्लास्टिक को खुले में जलाने पर कोई रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया गया था | ग्राम पंचायत के पास जिले मण्डी के स्क्रैप व्यापारियों की कोई सूची भी नहीं थी तथा सभी हितधारको में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था | ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह है लेकिन उनकी मदद भी किसी प्रकार से प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए नहीं ली गई थी।

इसके अतिरिक्त खण्ड विकास कार्यालय मण्डी द्वारा वर्ष 2023 में एक लाख रुपये ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए अनुमोदित किये गए थे जोकि व्यय किया जा चूका है। अतः प्लास्टिक कचरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिको द्वारा खुले में फेंका जा रहा है या जलाया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्लास्टिक कचरे के प्रबन्धन से सम्बन्ध दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है तथा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पालन में ग्राम पंचायत की विफलता दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-86 दिनांक 13.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नबाही के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतगर्त प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन नहीं करवाया जा रहा है जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार करवाया जाएगा व लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाएगा ।

8. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत नबाही, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फर्नीचर फिटिंग ही दर्ज की गयी थी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे बेडशीट, फर्नीचर, फिटिंग, प्रिंटर, कम्प्युटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दी गई अप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था । अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा । पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उल्लंघन था जोकि गंभीर अनियमितता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-87 दिनांक 13.02.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नबाही के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

9. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹9803.60 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (च) में संलग्न है ।**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी. /2024-89 दिनांक 14.02.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नबाही के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.02 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत नबाही द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1772.37 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (छ) में संलग्न है ।**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/ एस.ए.डी./ 2024-90 दिनांक 15.02.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नबाही के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹03.38 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹338172 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके सम्बन्ध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता का नाम	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	974/19.01.2023	14वां वित्त आयोग	एम/एस आनंद एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर फ़तेहपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी	पेंट का सामान	94382.3
2	2185/18.03.2023	14वां वित्त आयोग	अमर नाथ स्न्स 56 वार्ड संख्या 6 कॉलेज रोड सरकाघाट मण्डी	हार्डवेयर का सामान	133699
3	630/21.03.2023	14वां वित्त आयोग	एम/एस ससवाल हार्डवेर नबाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	हार्डवेयर का सामान	21721.44
5	989/22.2.23	14वां वित्त आयोग	एम/एस आनंद एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर फ़तेहपुर, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	पेंट का सामान	47023
6	1018/23.03.23	14वां वित्त आयोग	एम/एस आनंद एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर फ़तेहपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी	पेंट का सामान	41347.2
					338172.94

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-92 दिनांक 15.02.24 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत नबाही के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नहीं जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बन्धी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बन्धी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है । पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शैल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शैल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा । अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा । अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत नबाही, विकास खण्ड गोपालपुर जिला मंडी(हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे । उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2021-22	141	25	116	807	219	219	4688	0	87030
2022-23	142	18	124	817	151	151	3011	0	69107

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शैल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शैल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गंभीर नहीं थे जोकि नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी. /2024-88 दिनांक 14.02.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नबाही के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जोबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शैल्फ में

अनुमोदित सभी कार्य कार्यान्वित किये जाएँगे। तथा भविष्य में जॉबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान नियमानुसार स्रोत पर जीएसटी टीडीएस की कटौती न करने के कारण ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनांक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (person/HUF/Firm/Local authority /govt. deductor) द्वारा संविदाकार संविदाकार व्यक्ति, फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2%आई0जी0 एस0 टी0 –अंतरराजीय आपूर्ति) की दर से जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है। सचिव द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपूर्तिकर्ता को कूड़ेदान (15 ltr plastic dustbin with cap) हेतु सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹542372.8 की राशि का भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान स्रोत पर ₹10847 की राशि की जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 के रूप में कटौती नहीं की गई थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)	कटौती की दर	राशि (₹)
1	Swastik enterprises general & govt supplier near old bus stand sundernagar distt mandi	352/20.03.2021	15 ltr plastic dustbin with cap	542372.8	2.00%	**10847**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-91 दिनांक 15.02.24 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत नबाही के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जीएसटी टीडीएस के रूप में कम

वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर जीएसटी टीडीएस की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12. प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 05-6-24
सहायक निदेशक
0 5 JUN 2024 हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

2318-2322 का०/50

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(11) 148/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि०प्र०।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत नबाही, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 5 JUN 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 05-6-24
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का०/50

परिशिष्ठ – (क)
पैरा संख्या – 4(i)

Financial position of own source of Gram Panchyat Navahi					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	3773876.15	570554	4344430.15	1094231	3250199.15
2022-23	3250199.15	630445	3880644.15	347781	3532863.15

नवाही

परिशिष्ट -(ख)
पैरा संख्या - 5(ii)

Financial position of grant in aids of Gram Panchyat Navahi					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	429338	236010	665348	43662	621686
2022-23	621686	666369	1288055	697557	590498

Financial position of 15th FCof Gram Panchyat Navahi					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	2449808	75611	2525419	1241526.16	1283892.84
2022-23	1283892.84	99965	1383857.84	1051873	331984.84

नवाही

परिशिष्ट -(घ)
पैरा संख्या – 4(iv)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat Navahi					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	714078	1655433	2369511	0	2369511
2022-23	2369511	2051290	4420801	633778.36	3787022.64
Bank Reconicilation as on 31-03-23					
Balance as per cash book			3787022.64		
add:-interest of rs 32534 not taken in cb but taken in pass book			32534		3819556.64
Balance as per Pass book					3819556.64
Net Difference					nill

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नवाही
वि... ...पुर
जिला ... (उ०प्र०)

परिशिष्ट -(ङ)
पैरा संख्या - 6(क)

HOUSE TAX STATEMENT AS 0N 31-03-2023							
PERIOD	O.B.	NO. OF HOUSE HOUSEHOLD	.@ RATE OF REQUIRED TAX	REQUIRED TAX	TOTAL HOUSE TAX	RECEIVED	BALANCE
2021-22	87740	1046	30	31380	119120	119120	0
2022-23	0	1055	30	31650	31650	0	31650

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नवादा
विकास खण्ड ... पुर
जिला ... (उ० प्र०)

परिशिष्ठ – (छ)
पैरा संख्या – 9 (ख)

22

Detail of TDS →

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	14 वा वित्त आयोग					
1	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	265/10.02.21	बोल्डर	31200	1.00%	312.00
2	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	99/22.03.21	रेत	11985	1.00%	119.85
3	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	99/22.03.21	बजरी	6162	1.00%	61.62
4	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	263/10.11.20	बजरी	3070	1.00%	30.70
5	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	97/10.03.21	रेत	6162	1.00%	61.62
6	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	97/10.03.21	बजरी	5992	1.00%	59.92
7	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	100/20.03.21	रेत	6162	1.00%	61.62
8	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	100/20.03.21	बजरी	11985	1.00%	119.85
9	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	93/14.03.21	रेत	6162	1.00%	61.62
10	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	93/14.03.21	बजरी	11985	1.00%	119.85
11	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	96/16.03.21	रेत	6162	1.00%	61.62
12	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	96/16.03.21	बजरी	5992	1.00%	59.92
13	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	92/22.03.21	रेत	6162	1.00%	61.62
14	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	92/22.03.21	बजरी	5992	1.00%	59.92
15	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	98/18.03.21	रेत	6162	1.00%	61.62
16	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	98/18.03.21	बजरी	11985	1.00%	119.85
17	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	261/20.03.21	रेत	6162	1.00%	61.62
18	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	261/20.03.21	बजरी	11985	1.00%	119.85
19	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	322/12.02.23	रेत	9300	1.00%	93.00
	vkvny & अन्य					
20	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	191/27.01.20	रेत	3230	1.00%	32.30
21	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	191/27.01.20	बजरी	3230	1.00%	32.30
						1772.27

परिशिष्ठ -(च)
पैरा संख्या - 9 (क)

Detail of Royality :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	14वां वित्त आयोग								
1	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	265/10.02.21	बोल्डर	31200	24.00	2.24	53.76	60	3225.60
2	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	99/22.03.21	रेत	11985	4.25	1.62	6.89	60	413.10
3	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	99/22.03.21	बजरी	6162	8.50	1.52	12.92	60	775.20
4	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	263/10.11.20	बजरी	3070	2.17	1.52	3.30	60	197.90
5	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	97/10.03.21	रेत	6162	4.25	1.62	6.89	60	413.10
6	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	97/10.03.21	बजरी	5992	4.25	1.52	6.46	60	387.60
7	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	100/20.03.21	रेत	6162	4.25	1.62	6.89	60	413.10
8	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	100/20.03.21	बजरी	11985	8.50	1.52	12.92	60	775.20
9	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	93/14.03.21	रेत	6162	4.25	1.62	6.89	60	413.10
10	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	93/14.03.21	बजरी	11985	8.50	1.52	12.92	60	775.20
11	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	96/16.03.21	रेत	6162	4.25	1.62	6.89	60	413.10
12	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	96/16.03.21	बजरी	5992	4.25	1.52	6.46	60	387.60
13	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	92/22.03.21	रेत	6162	4.25	1.62	6.89	60	413.10
14	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	92/22.03.21	बजरी	5992	4.25	1.52	6.46	60	387.60
15	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	98/18.03.21	रेत	6162	4.25	1.62	6.89	60	413.10
16	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	98/18.03.21	बजरी	11985	8.50	1.52	12.92	60	775.20
17	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	261/20.03.21	रेत	6162	4.25	1.62	6.89	60	413.10
18	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	261/20.03.21	बजरी	11985	8.50	1.52	12.92	60	775.20
19	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	322/12.02.23	रेत	9300	4.25	1.62	6.89	80	550.80
	vkvny & अन्य								
20	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	191/27.01.20	रेत	3230	2.12	1.62	3.43	60	206.06
21	राकेश वर्मा गाँव लुनान्धा डाकघर फ़तेहपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	191/27.01.20	बजरी	3230	2.12	1.52	3.22	60	193.34
	कुल योग								9803.60